न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 05.03.2021

मिशल संख्याः– 06 / 2020

उनवानी वादः–

1. पेमा पुत्र गोदू जाति मोग्या उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सोहनी पत्नि पेमा जाति मोग्या उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. हीरा पुत्र रामा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामकरण पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र बालिग निवी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गुटा पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र बालिग निवी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मीटूलाल पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र बालिग निवी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. गोकल पुत्र रामा जाति मीणा उम्र बालिग निवी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीयागण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 92 खसरा नम्बर 984 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 985 रकबा 2.54 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 3.32 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 स्थित है। वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात के

खातेदार काश्तकार है तथा मोके पर काबिज है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त वर्णित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही कब्जा है। प्रतिवादीगण आदतन लड़ाकू व झगडालू किस्म के गिरोहबंद व्यक्ति है जो वादीगण की उक्त आराजी भूमि मे जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी व वेधानिक अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण जब भी अपनी जमीन पर जाते है तो प्रतिवादीगण एक साथ एक राय होकर आते है और वादीगण को कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मजामहत करते है तथा वादीगण को अपनी भूमि पर फसल बोने नही देते है। वादीगण जब प्रतिवादीगण को इस बात को ओलमा देता है तो गाली गलोच करते है तथा मारपीट करने पर उतारू रहते है तथा जमीन पर कब्जा करने की धमकी देते है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य से वादीगण अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है जिससे वादीगण को नुकसान हो रहा है। प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे उक्त अवैध कृत्य से रोका जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है जिसके लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के लिये पाबंद किया जावे कि स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा नही करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। यदि प्रतिवादीगण को इस आशय से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह स संभव नही होगा। वाद कारण आज से 7 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी भूमि पर गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को भूमि पर जाने से मना किया तथा जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये तब से लगातार रूप से जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— वाद का चरण नं. 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 2 गलत है,

स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया जा रहा है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही की जा रही है। वाद पत्र का चरण नं. 3 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभग मे कोई बाधा उत्पन्न नही की जा रही है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को जमीन कब्जा करने की धमकी नही दी ओर ना ही लड़ाई झगड़ा किया। वादीगण ने प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह वाद पेश किया है जो खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी की जमीन पर कभी कब्जा नही किया है। प्रतिवादीगण शांत स्वभाव के व्यक्ति है जो वादीगण की भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा जब वादीगण की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई मजामहत नही की जा रही है तथा ना ही कब्जा किया जा रहा है तो प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। वाद पत्र का चरण नं. 5 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच कभी भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा आज तक नही हुआ है और ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दी गई है। यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 6 व 7 कानूनी है, जवाब की कोई आवश्यकता नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के जवाब के अवलोकन से तनकियात बिन्दू की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली साक्ष्यवादी मे नियत की गई।

अधिवक्ता वादी के माध्यम से वादीयागण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 पेमा पुत्र गोदू जाति मोग्या उम्र बालिग निवासी चांदली व पी. डब्ल्यू–2 जगदीश पुत्र प्रभु जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया व प्रदर्श–3 भगवान पुत्र दुर्गालाल कलाल उम्र बालिग निवासी चांदली के पेश किये। वादीगण ने

प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः—प्रदर्श—1 खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 प्रदर्श—2 नक्शा ट्रेस प्रदर्श—3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—77 करवाये।

प्रतिवादीगण नियत तारीख पेशी में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

साक्ष्य वादी जिरह बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्रतिवादीगण के जवाब व अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रदर्श—3 जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 92 में वादीगण खसरा संख्या 984 रकबा 0.78 है0 व खसरा संख्या 985 रकबा 2.54 है0 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श—1 खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 के अनुसार वादीगण द्वारा उड़द की फसल काश्त की गई है। प्रतिवादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की जमीन पर किसी प्रकार से कब्जाकाश्त में मजामहत नहीं की है और न ही कब्जा किया है, वादीगण और प्रतिवादीगण के बीच कभी किसी प्रकार का झगड़ा आज तक नहीं हुआ है। उक्तानुसार विवेचन व प्रदर्श—1 व 3 के अनुसार वादीयागण वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली के खसरा संख्या 984 रकबा 0.78 है0 व खसरा संख्या 985 रकबा 2.54 है0 पर राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली के खसरा संख्या 984 रकबा 0.78 है0 व खसरा संख्या 985 रकबा 2.54 है0 में स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर चाकर या अन्य किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग—उपभोग में बाधा उत्पंन्न नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत व बेदखल नहीं करे। पाबन्द रहे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(..20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

..व अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो....................

उनवानी वादः—

1. पेमा पुत्र गोदू जाति मोग्या उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सोहनी पत्नि पेमा जाति मोग्या उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. हीरा पुत्र रामा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामकरण पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र बालिग निवाी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गुटा पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र बालिग निवाी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मीटूलाल पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र बालिग निवाी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. गोकल पुत्र रामा जाति मीणा उम्र बालिग निवाी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 06 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीयागण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली के खसरा संख्या 984 रकबा 0.78 है0 व खसरा संख्या 985 रकबा 2.54 है0 में स्वयं जरिए नौकर चाकर या अन्य

किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत व बेदखल नहीं करे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा .....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए